कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1992 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधानसभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online No-FP/UK/Road/152108/2022)

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2022/एफ0सी0/1310, दिनांकः 30.12.2022।**

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1772/12–1 दिनांक 23.02.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.735 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि ग्राम उर्तिच्छा, विचला ढांगू–3, खसरा सं0–4336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामांतरण एवं नोटिफिकेशन के पश्चात	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधिसूचना सं0–869–F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा

	ही इस कार्यालय को विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। GUIDANCE para 2-4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गए है जो कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामांतरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या– 1566/14–2–97–800 (11)/ 1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
ग	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–1)**
घ	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न–2)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्न–2)**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण

	वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	द्वारा प्रेषित बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 114 पेड़ और 04 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टलम (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित र्का के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्न–4)**
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा।.
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से अपेक्षित है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण

	बढ़ाएगा।	द्वारा शर्त मान्य है।
14	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
17	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रेत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward Bearings अंकित हो।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
22	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 1992 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।